सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

इस्तगासा संख्या गुण्डा एक्ट 36/2014

बउनवान

सरकार थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाड़ा जिला बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां
(सायल)

बनाम

श्री किशनसिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानलाल जाति धोबी निवासी समरानिया जिला बारॉ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– श्री असलम भारती अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 21.11.2017

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री किशनसिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानलाल जाति धोबी निवासी समरानिया जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाड़ा जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना केलवाड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल श्री किशनसिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानलाल जाति धोबी निवासी समरानिया जिला बारां आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसके विरूद्व पुलिस थाना केलवाड़ा मे वर्ष 2006 से 2012 के मध्य कुल 4 प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमे 3 प्रकरण जुआ सट्टा से संबंधित है एवं 1 प्रकरण फोरेस्ट एक्ट से संबंधित है। उक्त 4 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल की अपराधिक गतिविधिया फिर भी जारी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं0	फैसला
1.	124/2006	41,42 फोरेस्ट एक्ट	सी.एस. नं. 108/30.9.2006	सजा 12.10.2006
2.	128/2009	धारा 13 RPGO	सी.एस. नं. 109/25.7.2009	सजा 12.8.2009
3.	161/2011	धारा 13 RPGO	सी.एस. नं. 119/23.8.2011	सजा 12.9.2011
4.	9/2012	धारा 13 RPGO	सी.एस. नं. 04/13.1.2012	सजा 25.1.2012

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त चारों प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल श्री किशनसिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानलाल जाति धोबी निवासी समरानिया जिला बारां के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य मे मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 1.7.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई तथा जवाब पेश किया कि प्रार्थी पर लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं प्रार्थी ग्राम समरानिया का शांतिप्रिय नागरिक है। 10–15 वर्ष पूर्व प्रार्थी के विरूद्ध फरियादीगण द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज करवा दिये गये थे और प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरणों का भी न्यायालय श्रीमान द्वारा निस्तारण हो चुका है और आज की स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय व थाने में अपराध लंबित या विचाराधीन नही है। प्रार्थी जनरल स्टोर की दुकान लगाता है प्रार्थी की गांव में समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

साक्ष्य सायल में PW1 श्री भगवान सिंह जादौन हाल थानाधिकारी अटरू के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः हमने बहस उभयपक्ष ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं वकील गैरसायल सुनी।

दौराने बहस ए.पी.पी. का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना केलवाड़ा जिला बारॉ मे वर्ष 2006 से 2012 के मध्य कुल 4 प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमे 3 प्रकरण जुआ सट्टा से संबंधित है एवं 1 प्रकरण फोरेस्ट एक्ट से संबंधित है। उक्त 4 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत बयान थानाधिकारी एवं अभिलेख से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि पुलिस थाना केलवाड़ा जिला बारॉ मे जो मेरे विरूद्व कुल 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमे 3 प्रकरण जुआ सट्टा से संबंधित है एवं 1 प्रकरण फोरेस्ट एक्ट से संबंधित है। उक्त 4 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। वह समस्त जुर्म मेरे द्वारा कारित किये गये है। मै अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर, मेरे विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे का शीघ्र निस्तारण करवाना चाहता हूॅ तथा प्रकरण मे आगे कार्यवाही नही चाहता हूॅ गैरसायल शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा परिवार मे एक मात्र कमाने वाला है। यदि गैरसायल को उक्त प्रकरण मे दोषी मानकर जिला बदर किया गया तो उसका परिवार भूखो मरने की स्थिति मे आ जावेगा। गैरसायल के विरूद्व दर्ज इस्तगासे का सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर, कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने ए.पी.पी. एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे मे प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना केलवाड़ा जिला बारॉ मे वर्ष 2006 से 2012 के मध्य कुल 4 प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमे 3 प्रकरण जुआ सट्टा से संबंधित है एवं 1 प्रकरण फोरेस्ट एक्ट से संबंधित है। उक्त 4 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा जुर्माना आरोपित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री किशनसिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानलाल जाति धोबी निवासी समरानिया जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 RPGO के 3 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री किशनसिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानलाल जाति धोबी निवासी समरानिया जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र केलवाड़ा जिला बारॉ से 6 माह के लिए निष्कासित का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल श्री किशनसिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र भगवानलाल जाति धोबी निवासी समरानिया जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना केलवाड़ा जिला बारां से 6 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक 15 दिवस मे थानाधिकारी पुलिस थाना शाहाबाद जिला बारां को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/— रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 05.12.2017 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना शाहाबाद जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाड़ा जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना मे जिले के पुलिस थाना क्षेत्र केलवाड़ा जिला बारॉ से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना शाहाबाद जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ